

अव एवं रोजगार अंदाज

(खान सुरक्षा महानिदेशालय)

धनबाद, 27 अप्रैल, 2018

का.आ. 724.—मैं, प्रशान्त कुमार सरकार, मुख्य खान निरीक्षक जिसे खान सुरक्षा महानिदेशक के रूप में भी पदानामित किया गया है, खान अधिनियम, 1952 की धारा 6 की उप-धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों तथा उपरोक्त विषय-पर पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 3177, दिनांक 6 नवम्बर, 2009 (पृष्ठ संख्या 7420) में आंशिक संशोधन करते हुए राँची क्षेत्र का क्षेत्राधिकार एतद्वारा घोषित करता हूँ कि खान अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उप-धारा 1 के तहत नियुक्त निरीक्षक अपने क्षेत्राधिकार के सम्बद्ध क्षेत्र में अपनी शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित निर्देशानुसार करेंगे।

राँची क्षेत्र, मुख्यालय— राँची, राज्य—झारखण्ड

झारखण्ड राज्य: गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूँटी, राँची, रामगढ़ एवं हजारीबाग जिले के सभी खदान।

रामगढ़ उप-क्षेत्र, रामगढ़ का उप-क्षेत्रीय कार्यालय राँची क्षेत्रीय कार्यालय, राँची स्थानांतरित किया जाता है।

परंतु अन्य जोन, क्षेत्र एवं उप-क्षेत्र का क्षेत्राधिकार पूर्ववत रहेगा।

[मि. सं. एस-29022/08/2016-सामान्य]

प्रशान्त कुमार सरकार, मुख्य खान निरीक्षक

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(DIRECTORATE GENERAL OF MINES SAFETY)

Dhanbad, the 27th April, 2018

S.O. 724.—I, Prasanta Kumar Sarkar, Chief Inspector of Mines and also designated as Director-General of Mines Safety, under the powers conferred on me under sub-section 3 of Section 6 of the Mines Act, 1952, and in partial modification of Gazette Notification earlier published vide No. S.O.3177, dated the 6th November, 2009 (page No. 7424) hereby declare the area of jurisdiction of Ranchi Region with respect to which Inspectors appointed under Sub-section 1 of Section 5 of the Mines Act, 1952 shall exercise their respective powers, as given below:

Ranchi Region, HQ at Ranchi in the State of Jharkhand.

State of Jharkhand:-All Mines in the districts of Garhwa, Palamu, Chatra, Latehar, Lohardaga, Gumla, Simdega, Khunti, Ranchi, Ramgarh & Hazaribag.

Office of Ramgarh Sub-Region, Ramgarh is being shifted to office of Ranchi Region, Ranchi.

However, area of jurisdiction of other Zones, Regions and Sub-Regions shall remain unchanged.

[F. No. S-29022/08/2016-Genl.]

PRASANTA KUMAR SARKAR, Chief Inspector of Mines